न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00285

नन्दा आत्मज श्री किशना जी उम्र 65 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश चन्द आत्मज रामगोपाल उम्र 53 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2020/00039

नन्दा आत्मज श्री किशना जी उम्र 65 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश चन्द आत्मज रामगोपाल उम्र 53 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 25.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद संख्या 175/2015 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 31 की 61 बीघा 06 बिस्वा भूमि वादी की दादी गोपी बाई बेवा कान्हा के नाम दर्ज चली आ रही थी । सीलिंग प्रकरण में वादी का यूनिट नहीं मानते हुए खसरा नम्बर 31 की 61 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 16 बिस्वा भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई। गोपीबाई की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामगोपाल के खिलाफ सीलिंग प्रकरण चला जिसमें वादी को प्रथक से यूनिट मानते हुए 2.46 हैक्टर भूमि अधिग्रहण योग्य मानी गई जिसकी अपील संख्या 81/2001 पेश की जिसका निर्णय दिनाक 26.11.2002 को हो गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का सीलिंग अधिग्रहण का आदेश निरस्त कर दिया । खसरा नम्बर 31 की 05 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु सीलिंग अधिग्रहण कर लिये जाने के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी कम 01 को आवंटन कर दी गई और दौराने सेटलमेंट उसके नये खसरा नम्बर 146/710 रकबा 0.94 कायम किया जाकर प्रतिवादी कम 01 के खाते दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । सीलिंग आदेश के अनुसार वादी उक्त भूमि को प्रतिवादी कम 01 के खाते से हटाकर वादी अपने खाते दर्ज कराने व खातेदार घोषित होने का अधिकारी है ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी नया खसरा नम्बर 146/710 रकबा 0.94 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 01 के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने व वादी को खातेदार घोषित किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द – बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करें, वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें और वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. इसी प्रकार नन्दा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 103/2016 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 146/710 रकबा 0.94 हैक्टर वाके ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा वादी को नियमानुसार आवंटित की गई है और उक्त भूमि वादी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई है । दिनांक 10.10.2011 को उक्त भूमि पर वादी को खातेदार प्रदान की गई है । वादी वर्ष 2013 में बीमार हो गया इसलिए उसके द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी को मुनाफा काश्त पर जुपा दी और वादी ने मुनाफा राशि प्राप्त कर ली थी । वादी ने प्रतिवादी से उक्त वर्ष 2015 में मुनाफा राशि मांगी तो उन्होंने मना कर दिया और जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

7. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेकित करते हुए अपने एकल निर्णय दिनांक 26.09.2016 के द्वारा वाद संख्या 175/2015 स्वीकार कर डिक्री कर दिया एवं वाद संख्या 103/2016 खारिज कर दिया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अनुसूचित जनजाति का सदस्य है जिनके सम्बन्ध में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलान्ट की आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं और वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट के वाद को खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में कोई तनकीयात कायम नहीं की और न ही धारा 42 एवं सीलिंग प्रकरण के सम्बन्ध में दर्ज आपत्ति पर गौर किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

10. अपील संख्या 2020/00039 में अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी गरीब, वृद्ध, अशिक्षित काश्तकार है । प्रार्थी को अपने वकील साहब द्वारा कभी भी यह नहीं बताया गया कि उक्त आदेश की एक अपील के साथ दूसरी भी अपनी करनी पडेगी । इस तथ्य की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.02.2020 को वकील साहब द्वारा बताने पर हुई जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. अपील अपीलान्ट संख्या 2016/285 दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील संख्या 2020/00039 सब्जेक्ट टू लिमिटेश दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट के विरूद्ध दावा डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 61 बीघा 06 बिस्वा में से 05 बीघा 16 बिस्वा आराजी दिनांक 05.11.1982 को आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को आवंटित कर कब्जा प्रदान किया गया था । आराजी अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी और इंतकाल संख्या 493 दिनांक 10.10.2011 से खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये गये थे । इस समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर दावा वादी डिक्री किया गया है। इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है और रेस्पोडेन्ट कम 01 अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । धारा 42 बी के उल्लंघन में खातेदारी प्रदान की गई है । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था जिसको रेस्पोडेन्ट के दावे के साथ समेकित किया गया है । अपीलान्ट को साक्ष्य एवं दस्तावेजात पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दावे के सम्बन्ध में कोई तनकी कायम नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय में धारा 42 बी और सीलिंग के बाबत् आपत्ति दर्ज करवायी गई परन्तु फिर भी कोई तनकी कायम नहीं की । वादग्रस्त आराजी में गोपीबाई बेवा कान्हा का सम्वत् 2021–23 की जमाबन्दी में 1/2 हिस्सा दर्ज है । गोपी बाई लाऔलाद फौत हो चुकी है । रेस्पोडेन्ट कम 01 के पिता रामगोपाल के 04 लडके और 05 लडकियॉ हैं । रेस्पोडेन्ट कम 01 गोपी बाई का विधिक वारिस नहीं है इसके बावजूद इस बाबत् कोई तनकी कायम नहीं की गई है । सीलिंग के प्रकरण में रेस्पोडेन्ट वादी को धारा 144 सीपीसी के तहत सहायता प्राप्त करनी चाहिए थी। इसके बावजूद अपीलान्ट का दावा खारिज किया गया है । अपीलान्ट को आवंटित आराजी के आवंटन को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है । आवंटन को निरस्त नहीं किया गया है । तनकीयात पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया था । अपीलान्ट के द्वारा जो दावा पेश किया गया था उसको इसके साथ समेकित किया गया था । अपीलान्ट के द्वारा एक अपील पेश की गई थी और उस अपील के लम्बित रहने के दौरान दूसरी अपील पेश की है । दूसरी अपील अवधि बाधित है । विलम्ब के समुचित कारण भी नहीं बताये गये हैं । वकील का शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है । रमेश के पिता रामगोपाल के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही चली थी । गोपी बाई की मृत्यु हो चुकी थी उनकी आराजी भी रामगोपाल जी के खाते में एड कर दी गई थी । रामगोपाल की अपील मंजूर की गई और आराजी को सीलिंग मुक्त किया गाय है । अपीलान्ट के बयानों में स्वीकारोक्ति है कि उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । आराजी सीलिंग से मुक्त होने के बाद रेस्पोडेन्ट वादी इसको अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 355, आरआरडी 1991 पेज 18,

आरआरटी 2011–12 (सप्ली.) पेज 389, आरएनटी 2018–19 (सप्ली.) पेज 316, आरआरटी 2019 (2) पेज 831, एआईआर 1993 (एससी) पेज 1202 उद्धरत की ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपील संख्या 2020/00039 में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया है । प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नरम रूख अपनाते हुए अपील में विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित समझते हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु निहित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रमेश चन्द के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया है । इस दावे में एक अन्य दावा नन्दा के द्वारा अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी पेश किया गया है जिसको इसके साथ समेकित किया गया है । वादी रमेशचन्द के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनका अवलोकन किया गया । उक्त दस्तावेजात में प्रदर्श– 1 मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति है, प्रदर्श– 2 फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2043–62 है जिसके अनुसार रमेश चन्द, दुर्गाशंकर पिता रामगोपाल के खाते में कुल 07 किता की 10.77 हैक्टर आराजी दर्ज है । प्रदर्श–3 दखलनामा की फोटो प्रति है, प्रदर्श– 4 प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग कोटा के निर्णय दिनांक 03.11.1982 की फोटो प्रति है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श – 1 से लेकर प्रदर्श– 4 फोटो प्रतियॉ हैं जबकि प्रमाणित प्रतियॉ ही प्रदर्शित की जा सकती हैं । प्रदर्श– 5 नकल जमाबन्दी संवत् 2021–23 की प्रमाणित प्रति है, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 खाता संख्या 70 है जिसके अनुसार नन्दा प्रतिवादी के खाते में खसरा नम्बर 146/710 रकबा 0.94 हैक्टर आराजी दर्ज है, प्रदर्श– 7 नामान्तरकरण संख्या 493 की प्रमाणित प्रति है, प्रदर्श – 8 नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 है जिसके अनुसार रमेश पुत्र रामगोपाल के खाते में कुल 02 किता की 4.02 हैक्टर आराजी दर्ज है, प्रदर्श– 09 खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति है, प्रदर्श– 10 मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है, प्रदर्श–11 प्रकरण संख्या 81/01 रामगोपाल बनाम सरकार की आदेशिका दिनांक 26.11.2002 की प्रमाणित प्रति है, प्रदर्श– 12 अतिरिक्त जिलाधीश सीलिंग के न्यायालय में पेश की गई अपील की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं ।

16. पत्रावली पर वादी रमेश चन्द का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 के रूप में संलग्न किया है परन्तु शपथग्रहिता ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है और न ही उससे प्रतिवादी की ओर से कोई जिरह की गई है । पीडब्ल्यू– 2 देवलाल के बयान कराये गये हैं ।

17. प्रतिवादी की ओर से डीडब्ल्यू– 1 के रूप में नन्दा, डीडब्ल्यू–2 के रूप में सूरजमल, डीडब्ल्यू–3 गोरधन के शपथपत्र पेश किये गये हैं परन्तु नन्दा द्वारा अपने शपथ पत्र की ताईद न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं की है और न ही उनसे जिरह की गई है ।

18. इस प्रकार कुछ दस्तावेजात की फोटो प्रतियों को प्रदर्शित करवाया गया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित प्रतियों को ही प्रदर्शित करवाया जा सकता है । साथ ही वादी रमेश के द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है उसकी न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं की गई है और न ही उनसे प्रतिवादी के द्वारा कोई जिरह की गई है । नन्दा के शपथ पत्र की भी न्यायालय में ताईद नहीं करवायी गई है और न ही उनसे जिरह की गई है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया गया है कि सीलिंग सरप्लस से यदि आराजी मुक्त हुई है तो वादी को धारा 144 सीपीसी के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी न कि हक घोषणा का दावा । हम इस प्रकरण में यह कानूनी तनकी बनाया जाना भी उचित समझते है :–

> **"आया वादग्रस्त आराजी सीलिंग सरप्लस मुक्त होने की स्थिति में 144 सीपीसी के तहत कार्यवाही के स्थान पर वादी का हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल है** – वादी ।"

19. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि रामगोपाल के रमेशचन्द के अलावा अन्य भी विधिक वारिस हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 में 07 किता की 10.77 हैक्टर भूमि रमेश, दुर्गाशंकर पिसरान रामगोपाल के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर जो अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग की आदेशिका की प्रमाणित प्रति संलग्न है उसके अनुसार रामगोपाल के खिलाफ सीलिंग के अधिग्रहण के आदेश को निरस्त किया गया है । ऐसी स्थिति में रामगोपाल के समस्त विधिक वारिसान की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि दावा सिर्फ उनके एक पुत्र रमेश के द्वारा किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00285 एवं अपील संख्या 2020/00039 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 18 व 19 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा कायम की गई अतिरिक्त तनकी को शामिल करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

21. निर्णय आज दिनांक 25.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा